



प्रेस नोट दिनांक 21-01-2023

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वाले दुकानदार को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वालो के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वाले अभियुक्त फरमान पुत्र शहीद अहमद निवासी टोली कलालान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को दिनांक 20-01- को 23 गिरफ्तार किया गया है जिसके संबंध में , थाना मण्डी परमु0अ0सं0 23/2023 धारा 188/336 भादवि 5/-अधिनियम (संरक्षण) पर्यावरण 151986 पंजीकृत किया गया है।

नाम पता अभियुक्त -

1- फरमान पुत्र शहीद अहमद निवासी टोली कलालान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

05 किलो 800 ग्राम प्रतिबन्धित मांझा

-गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 451 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. कां0 273 प्रसान्त थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक:21.01.2023

प्रेस नोट

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

आज दिनांक 21.01.2023 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशानुसार व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभिमन्यु मांगलिक व क्षेत्राधिकारी सदर श्री नीरज सिंह की अध्यक्षता में चलाये जा रहे वांछित वारन्टी/अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान के अनुपालन में एक नफर वारन्टी अभियुक्त अरशद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु38 0सं0अ0/ 15 व वाद संख्या 397 /17 धारा चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है 0विधुत अधि 135। गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त को समय से मान्यायालय रवाना किया जायेगा। 0

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. अरशद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु38 0सं0अ0/ व 15वाद संख्या 397 /17 धारा 0विधुत अधि 135चालानी थाना चिलकाना स पुर0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

उ अशोक 0नि0कुमार शर्मा थाना चिलकाना सहारनपुर

कापुर0इस्लाम थाना चिलकाना स 0मौ 2071 0

प्रेस नोट थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

थाना तीतरों पुलिस व स्वाट व सर्विलांस की सयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 21.1.2023 को मुखबिर की सूचना पर 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.01.2023 को थाना – तीतरों की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत दिनांक 3.1.2023 को पंजीकृत मु0अ0स0 4/2023 धारा 392 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. रविन्द्र पुत्र रणवा निवासी फौलादपुर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. अली रजा पुत्र इनायत अली निवासी जावरा हुसैन टीकरी थाना भीमाखेडी जिला रतलाम मध्यप्रदेश 3. साबिर पुत्र इज्जत अली निवासी मौ. लहसवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 4. राजीव चौहान पुत्र स्व0 बलदेव राज निवासी मकान न0 46 बीटी गंज रुडकी थाना गंगनहर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कार0 315 बोर, एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कार0 12 बोर, एक अदद नाजायज चाकू व मुकदमा उपरोक्त में लूटी गयी 06 अंगुठी पीली धातू तथा थाना मन्सूरपुर जनपद मुज्जफरनगर से लूटी गयी एक लोकिट गले का व एक अंगुठी पीली धातू की सहित बहलोलपुर अड्डे देवी मंदिर के पास मैन रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रविन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 9/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त अली रजा उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 10/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त साबिर उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 11/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को जेल भेजा गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता

1. रविन्द्र पुत्र रणवा निवासी फौलादपुर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. अली रजा पुत्र इनायत अली निवासी जावरा हुसैन टीकरी थाना भीमाखेडी जिला रतलाम मध्यप्रदेश
3. साबिर पुत्र इज्जत अली निवासी मौ. लहसवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4. राजीव चौहान पुत्र स्व0 बलदेव राज निवासी मकान न0 46 बीटी गंज रुडकी थाना गंगनहर जिला हरिद्वार

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कार0 315 बोर,
2. एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कार0 12 बोर,
3. एक अदद नाजायज चाकू
4. 06 अंगुठी पीली धातू
5. एक लोकिट गले का व एक अंगुठी पीली धातू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

- (1) प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना तीतरों जिला सहारनपुर
- (2) उ0नि0 अमित कुमार थाना तीतरों जिला सहारनपुर
- (3) उ0नि0 कंवरपाल सिंह थाना तीतरों जिला सहारनपुर
- (4) है0का0 1058 राहुल राणा थाना तीतरों जिला सहारनपुर
- (5) का0 178 मयंक राणा थाना तीतरों जिला सहारनपुर
- (6) का0 240 सोनू कुमार थाना तीतरों जिला सहारनपुर
- (7) प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार यादव प्रभारी स्वाट टीम सहारनपुर
- (8) उ0नि0 अजय गौड स्वाट टीम सहारनपुर
- (9) है0का0 447 अमरदीप स्वाट टीम सहारनपुर
- (10) है0का0 02 सचिन शर्मा स्वाट टीम सहारनपुर
- (11) है0का0 877 विनित हुड्डा सर्विलांस सैल सहारनपुर
- (12) का0 405 गौरव राठी स्वाट टीम सहारनपुर
- (13) का0 80 सोनू शर्मा सर्विलांस सैल सहारनपुर
- (14) का0 866 मोहित कुमार सर्विलांस सैल सहारनपुर



प्रेस नोट दिनांक 21/01/23 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

थाना नकुड पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार तथा 36 पच्चे देशी शराब चालीं संतरा हरियाणा मार्का बरामद की गई

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शराब व नशीला पदार्थ बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा दिनांक 20.01.23 को एक अभियुक्त बन्टी पुत्र सुखपाल नि0 ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर मय 36 अदद पच्चे देशी शराब चालीं संतरा हरियाणा मार्का के थाना नकुड क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 28/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम बन्टी पुत्र सुखपाल नि0 ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया। अभि0 को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभि0 का नाम व पता:-

1. बन्टी पुत्र सुखपाल नि0 ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 36 अदद पच्चे देशी शराब चालीं संतरा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार
3. का0 2464 आकाश कुमार
4. का0 2334 मनीष कुमार
5. का0 2197 विपिन कुमार



प्रेस नोट दिनांक 21/01/23 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

थाना नकुड पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार तथा चोरी का सामान दो स्टार्टर एक स्टार्टर कवर दो आपरेटर व केविल का जला हुआ ताँबे का तार वजन करीब 300 ग्राम बरामद किए गए

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चोरी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभि० के कब्जे से दो स्टार्टर एक स्टार्टर कवर दो आपरेटर व केविल का जला हुआ ताँबे का तार वजन करीब 300 ग्राम बरामद किये गये। अभि० को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है—

1. दिनांक 12.01.23 को वादी श्री वरुण मित्तल पुत्र श्री सुधीर मित्तल नि० मौ० महादेव कस्बा व थाना नकुड सहारनपुर द्वारा दाखिला तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी तथा पवन पुत्र चन्द्रा तथा पंकज अग्रवाल पुत्र श्री फुलचन्द्र तथा धीरज सिंगल पुत्र अनील की ट्यूबवैल से केवल तथा स्टार्टर व अन्य सामान चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड पर मु०अ०स० 12/23 धारा 379 भा०द०वि०बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। तथा दिनांक 21.01.23 को थाना नकुड पुलिस द्वारा अभियुक्त इन्तजार पुत्र जरीफ निवासी निकट बिजलीघर नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड जनपद स०पुर को मय मुकदमा उपरोक्त में चोरी की गई दो स्टार्टर (एक STRIPLEX तथा दूसरा BEEEXTEX) एक स्टार्टर कवर(STRIPLEX) दो प्लास्टिक ऑपरेटर (KISAN और BOPRAI कम्पनी) व केविल का जला हुआ ताँबे का तार वजन करीब 300 ग्राम वजन करीब 300 ग्राम के थाना नकुड क्षेत्र से गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

अभि० का नाम व पता:-

1. इन्तजार पुत्र जरीफ निवासी निकट बिजलीघर नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड जनपद स०पुर

बरामदगी का विवरण:-

6. दो स्टार्टर (एक STRIPLEX तथा दूसरा BEEEXTEX)
7. एक स्टार्टर कवर(STRIPLEX)
8. दो प्लास्टिक ऑपरेटर (KISAN और BOPRAI कम्पनी)
9. केविल का जला हुआ ताँबे का तार वजन करीब 300 ग्रा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र०नि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ
2. उ०नि० बीरबल सिंह
3. उ०नि० देवेश कुमार
4. है०का० 559 सन्नी राणा



प्रेस नोट दिनांक 21/01/23 थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
थाना नकुड़ पुलिस द्वारा एक चोर को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड़ महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चोरी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभि० को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है—

- दिनांक 31.12.22 को वादी श्री सत्यम पुत्र चन्द्रशेखर मित्तल निवासी मौ० महादेव कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा दाखिला तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के आर०एन० टैगोर विद्यापीठ इन्टर कालेज का ताला तोड़कर एक लैपटाप, एक प्रिन्टर, एक एलईडी व प्रयोगशाला की चार छोटी बैटरियां तथा एक बैटरी का चार्जर चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु०अ०स० 495/22धारा 380/457 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया। तथा दिनांक 21.01.23 को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सावन उर्फ भूत पुत्र विनोद निवासी मौहल्ला महादेव कस्बा व थाना नकुड़ स०पुर को थाना नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

अभि० का नाम व पता:—

- सावन उर्फ भूत पुत्र विनोद निवासी मौहल्ला महादेव कस्बा व थाना नकुड़ स०पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- प्र०नि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ
- उ०नि० देवेश कुमार
- उ०नि० बीरबल सिंह
- है०का० 558 सन्दीप कुमार

प्रेस नोट दिनांक 21.01.2023

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को चोरी की आटा चक्की लोहा फ्रेम सहित गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान व अपराध की रोकथाम अभियान के दौरान श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में आज दिनांक 21.01.2023 को उ०नि० श्री सुरेन्द्रपाल सिंह व हेका० 892 अजय राठी , का० 1259 विनीत तोमर , का० 1976 अमित कुमार के द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 17/23 धारा 380 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों 01.शाहरुख पुत्र अब्बास निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जिला शामली 02. इमरान पुत्र अख्तर निवासी मौ० खान कहां कस्बा व थाना देवबन्द जिला स०पुर को थाना गागलहेडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

- (1) शाहरुख पुत्र अब्बास निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जिला शामली
- (2) इमरान पुत्र अख्तर निवासी मौ० खान कहां कस्बा व थाना देवबन्द जिला स०पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) उ०नि० श्री सुरेन्द्रपाल सिंह
- (2) हेका० 892 अजय राठी
- (3) का० 1259 विनीत तोमर
- (4) का० 1976 अमित कुमार



प्रेस नोट दि० 21.1.23

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा गैर प्रान्त की अवैध शराब सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा चलाये गये अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय जिला सहारनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार द्वारा गठित टीम उ०नि० महेशचन्द्र, का० 722 अजय तोमर व का० 688 प्रवीण तोमर द्वारा दिनांक 21.1.23 को थाना रामपुर क्षेत्र से शौकीन पुत्र महमूद निवासी मौ० महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर को 10 बोतल अवैध देशी शराब रसीला संतरा हरियाणा मार्का को अवैध रूप से बिक्री के लिए ले जाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता –

शौकीन पुत्र महमूद नि० मौ० महल कस्बा व थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

10 बोतल देशी शराब रसीला संतरा हरियाणा मार्का

पुलिस पार्टी –

1. विनय कुमार आजाद प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उप०निरी० महेशचन्द्र थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. का० 722 अजय तोमर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. का० 688 प्रवीण तोमर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर